

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

कार्यालय आदेश

सीवीसी सतर्कता नियमावली, 2017 के 2.8.1 पारा के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ कि उपाचार्य महोदय ने प्रो. आशा मुखर्जी, प्रिंसिपल, विद्या भवन को अपने सामान्य ड्यूटी करते हुए अंश कालिक के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है। उक्त कार्यभार तीन माह अवधि हेतु या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक मान्य होगा।

यह दिनांक 16.03.2019 के सम संख्या कार्यालय आदेश का आंशिक संशोधन है।

हस्ता./-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

संदर्भ सं. स्था./ई-III/सतर्कता
दिनांक : 15/04/2019

सेवा में,
प्रो. वी. सी. झा
भूगोल विभाग, विश्वभारती

सूचनार्थ :

1. श्री संजय कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., उच्च शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, रूम न. 231, सी स्कंद, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. प्रो. वी.सी. झा, भूगोल विभाग
3. सभी निदेशक/सभी प्रिंसिपल
4. सभी अकादमिक एवं गैर-शैक्षणिक विभागाध्यक्ष/केंद्र
5. वित्त अधिकारी
6. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहा. कुलसचिव
7. सीएमओ/सीएसओ/यूई
8. कुलपति के गापनीय सचिव
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. हिंदी अधिकारी - हिंदी अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
12. फाइल